न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 04/2020 (जीसीएमएस संख्याः–2020/00020)

जन सम्पत्ति बचाओ संघर्ष समिति एवं विकास समिति, चाकसू, जिला–जयपुर जरिये अध्यक्ष, छोटेलाल मावर, महासचिव/संयोजक, कुंजबिहारी वैष्णव, पता–सब्जी मण्डी चौराहा के पास, चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. हनुमान दास पुत्र नामालूम, जाति–नामालूम, मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री सीताराम जी, आसोलाई, चाकसू, जिला–जयपुर हाल–मंदिर श्री रामलक्ष्मण जी मालोलाई–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 23.12.2019 नामा0 सं0–1152/18.12.2019 ग्राम–चाकसू (पश्चिम), तहसील–चाकसू)

उपस्थितः–

1. श्री रामावतार प्रजापत, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
3. श्री अमिताभ भटनागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.03.2022

रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 हनुमानदास द्वारा तहसील चाकसू के समक्ष आज्ञा दिनांक 28.08.2019 के सम्बन्ध में रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 18/2019 उनवानी हनुमान दास श्री ठाकुरजी श्री सीताराम आसोलाई चाकसू बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का कस्बा चाकसू पूर्व वगैराह दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 11.12.2019 से हनुमान दास के पक्ष में वसीयत दिनांक 31.12.2007 को अन्तिम मानते हुए नामान्तरकरण खोलने हेतु हनुमान दास का रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है, आज्ञा दिनांक 11.12.2019 की पालना में नामान्तरकरण सं0–1152/18.12.2019 ग्राम–चाकसू (पश्चिम) दिनांक 23.12.2019 स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 जरिऐ अभिभाषक हाजिर आए और जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

उभय–पक्षो की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री रामावतार प्रजापत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट् एक सार्वजनिक उद्देश्य हेतु जन–सम्पत्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्यों आदि का निष्पादन करती है तथा जनकल्याण के उद्देश्य से ग्राम चाकसू जिला जयपुर में स्थित पुरातन मन्दिर स्कूल पुराने ऐतिहासिक भवन, प्राचीन धरोहरों इत्यादि की देखरेख व संरक्षण का कार्य जन–सहयोग से अपीलान्ट् समिति द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में मन्दिर ठाकुरजी श्री सीतारामजी आसोलाई चाकसू की सम्पत्ति की सुरक्षा आदि किये जाने हेतु अपीलान्ट् को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। प्रकरणाधीन सम्पत्तियां रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 की किसी भी प्रकार से निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वादग्रस्त सम्पत्ति पूर्व में महन्त पुरूषोतमदास के नाम से रही है जो कि मन्दिर की सार्वजनिक सम्पत्ति है तथा उनसे पूर्व महन्त पुरूषोतमदास के गुरू के नाम जो कि मन्दिर के महन्त होने के कारण नाम से चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 कभी भी महन्त पुरूषोतमदास का सेवक या चेला नहीं रहा है बल्कि वास्तविक रूप से रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 हनुमानदास चैला रामदास रहा है ना ही कभी रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 ने ठाकुर जी श्री सीताराम जी आसोलाई में कोई सेवा कार्य किया है। महन्त पुरूषोतमदास ने दिनांक 10.07.2006 को रामदास चैला पुरूषोतमदास के नाम से वसीयत उप–पंजीयक, चाकसू के यहां रजिस्टर्ड करवाई थी जिसमें यह अंकित किया गया था कि पुरूषोतमदास की सभी सम्पत्तियां उसकी मृत्यु उपरान्त रामदास को मिल जावे। यह उनकी अन्तिम वसीयत थी जिसको जीवन पर्यन्त महन्त पुरूषोतमदास ने कभी भी निरस्त नही किया। वसीयत दिनांक 10.07.2006 में स्वयं रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 ने गवाह संख्या 1 के रूप में अपने हस्ताक्षर किये है, गवाह के रूप में भी हनुमानदास ने स्वयं को रामपालदास का चैला बताया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 ने येनकेन प्रकारेण मन्दिर सम्पत्ति को हडप करने के उद्देश्य से एक दिखावटी वसीयतनामा दिनांक 31.12.2007 को अपने पक्ष में तैयार करवा लिया जिसकी सत्यता में किसी प्रकार से विश्वास किया जाना न्याय–संगत नहीं है क्योंकि यह वसीयतनामा दिनांक 31.12.2007 स्वयं में संदिग्ध है। वसीयतनामा दिनांक 31.12.2007 के प्रत्येक पेज पर महन्त पुरूषोतमदास के हस्ताक्षर बनावटी प्रतीत होते है, ना तो वसीयत रजिस्टर्ड है और ना ही वसीयत के संबंध में आज तक कोई प्रोबेट जारी की है। मन्दिर सम्पत्ति को हड़पने के उद्देश्य से वसीयत के साथ में सम्पत्ति विवरण

के लिये दो तालिका बनाई है जो कि संदिग्ध है। इस वसीयत दिनांक 31.12.2007 के आधार पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 ने तहसीलदार, चाकसू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् नामान्तरकरण प्रस्तुत किया जो प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 31.12.2007 को संदिग्ध मानते हुए वादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर अन्य न्यायालयों में मुकदमेबाजी होना आदि की उप–धारणा के साथ निर्णय दिनांक 28.08.2019 द्वारा खारिज फरमा दिया गया। इसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 द्वारा पुनः रिव्यू प्रार्थना पत्र तहसीलदार, चाकसू के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी भी अन्य पीड़ित पक्षकारों को नहीं सुनकर बाला–बाला विधि–विरूद्ध जाकर दिनांक 11.12.2019 को नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि आदेश दिनांक 28.08.2019 किन कारणों से रिव्यू किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 31.12.2007 को देखने मात्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वसीयत का उद्देश्य मात्र सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने व इसके दुरूपयोग से रोकने व प्रबन्ध सुचारू रूप से चलता रहे, इस आशय के साथ में किया जाना दर्शित होता है लेकिन रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 का इरादा, आशय उक्त वसीयत के विपरीत है क्योंकि पूर्व में रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के नाम खसरा संख्या 9961, 9962 आदि के नाम खुल जाने पर अपने निजी उपयोग, स्वार्थ के लिये इन खसरा नम्बरान का बेचान जरिये दान पत्र तुलसीराम जाट व नीरज भदोरिया को कर दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि यदि वादग्रस्त सम्पत्ति भी रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के नाम आ जाती है तो रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 अपने निजी स्वार्थ के लिये सार्वजनिक सम्पत्ति को खुर्द बुर्द कर देगा। स्वयं रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 यह साबित करने में असफल रहा है कि वह किसका चैला है तथा मन्दिर श्री ठाकुर जी आसोलाई तहसील, चाकसू जिला–जयपुर से कोई सम्बन्ध सरोकार हो ना ही यह कही पर स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 पुरूषोतमदास का विधिक उत्तराधिकारी हो। रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 ने स्वयं को हनुमानदास का विधिक उत्तराधिकारी माना है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 कभी भी पुरूषोतमदस का विधिक उत्तराधिकारी नहीं रहा। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे। प्रकरण संख्या 18/2019 न्यायालय तहसीलदार, चाकसू के रिव्यू प्रार्थना–पत्र के आदेश दिनांक 11.12.2019 समक्ष बउनवानी प्रकरण हनुमानदास बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का चाकसू व अन्य में दिये गये नामान्तरकरण आदेश को व नामान्तरकरण संख्या 1152/18.12.2019 स्वीकृत दिनांक 23.12.2019 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक श्री अमिताभ भटनागर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 1152/18.12.2019 स्वीकृत दिनांक 23.12.2019 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने मे अधीनस्थ तहसीलदार, चाकसू द्वारा किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है और न ही किसी प्रकार की त्रुटि की गई है। वैध रूप से तथ्यों के आधार पर पारित किये गये आदेश दिनांक 11.12.2019 के अनुपालन में नामान्तरकरण संख्या 1152/18.12.2019 सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट् को नामान्तरकरण संख्या 1152/18.12.2019 दिनांक 23.12.2019 को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट् को अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस–स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् को अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की निजी सम्पत्तियों में अपीलान्ट् का क्या हक–हकूक निहित है इस तथ्य को अपील में उल्लेखित नहीं किया गया है और इसी आधार पर अपील अपीलान्ट् खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट् को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 से प्राप्त नहीं है और ना ही अपीलान्ट् द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की कोई अनुमति न्यायालय से प्राप्त करने हेतु धारा 96 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट् द्वारा नामान्तरकरण को विवादित होना जाहिर किया है ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट् द्वारा नामान्तरकरण को विवादित होना मानते है तो इस न्यायालय में क्योंकर अपील प्रस्तुत की गई है, विवादित आज्ञा के विरूद्ध सुने जाने हेतु सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण की अपील क्यों नहीं प्रस्तुत की गई। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट् द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 गत लगभग 50 वर्षों से महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की सेवा सुश्रुषा कर रहा था, और रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 की कर्तव्य–निष्ठा एवं सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 27.09.2000 को महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की महन्तगिरी के मन्दिर ठाकुर जी श्री सीताराम जी आसोलाई में ठाकुर जी की सेवा भोग इत्यादि करने बाबत् एक पंजीकृत वसीयत रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के हक में तहरीर व तकमील की गई, जो आज तक अखण्डनीय है और किसी भी व्यक्ति द्वारा वसीयत दिनांक 27.09.2000 को किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गयी है अर्थात सभी सम्बन्धितों द्वारा वसीयत दिनांक 27.09.2000 को वैध होना स्वीकार किया है वसीयत दिनांक 27.09.2000 द्वारा महन्त पुरूषोत्तम दास ने रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 को अपनी निजी सम्पत्तियों का

उत्तराधिकारी भी घोषित किया है, तत्पश्चात् एक पंचनामा, वसीयतनामा, मुख्त्यारनामा रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के हक में तहरीर व तकमील हुआ इन तीनों दस्तावेजात को दिनांक 31.12.2007 को रूबरू गवाहान शिवचरण लाल पारीक नोटरी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नोटरी ने तस्दीक किया है। इन दस्तावेजात को किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की दिनांक 02.12.2010 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त महन्त श्री पुरूषोत्तम दास के निष्कासित चेले श्री रामवतार दास द्वारा मुकदमेबाजी शुरू की गई, और इस क्रम में मन्दिर तथा महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की निजी सम्पत्तियों को कब्जे राज लिया गया और एक लम्बी लडाई के बाद दिनांक 14.03.2019 को रिसीवरी की कार्यवाही समाप्त की जाकर मन्दिर, मन्दिर की सम्पत्तियां तथा महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की निजी सम्पत्तियों का कब्जा रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्भलाया गया। रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं परिसीलन करने के उपरान्त ही अदालत मातहत द्वारा पंजीकृत वसीयत तत्पश्चात् दिनांक 31.12.2007 को तस्दीक की गई वसीयत, पंचनामा, मुख्त्यारनामा एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने उपरान्त अदालत मातहत द्वारा दिनांक 11.12.2019 को नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के हक में खोले जाने बाबत् आदेश पारित किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.12.2019 को महन्त श्री पुरूषोत्तम दास की निजी खातेदारी की आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 1152/2019 रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के हक में खोला जाकर दिनांक 23.12.2019 को स्वीकार किया गया है। तथाकथित अपीलान्ट् समिति का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व दिनांक 14.03.2019 तक उत्पन्न नहीं हुआ था। अपीलान्ट् समिति के अध्यक्ष छोटेलाल मावर (धोबी) महन्त श्री पुरूषोत्तम दास जी की निजी सम्पत्ति की दुकान में किरायेदार है और इसी प्रकार संयोजक कुंज बिहारी वैष्णव के पिता भंवर लाल वैष्णव भी निजी दुकान में किरायेदार है। किरायेदार सूरज मल बागडा व मोहन लाल माली के अलावा कोई भी किरायेदार सन् 2010 से अर्थात श्री पुरूषोत्तम दास की मृत्यु के उपरान्त दुकान किराया न तो रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 को अदा कर रहे है ना ही किसी न्यायालय में जमा करवा रहे है। अपीलान्ट् समिति के पदाधिकारियों का उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र यह है कि येन–केन प्रकारेण समस्त किरायेदार किराया जो काफी अधिक रकम बन चुकी है, का भुगतान रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 को नहीं करे और चूंकि रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 की आयु लगभग 80 वर्ष है इस कारण से रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 की मृत्यु उपरान्त इन दुकानों को हडप कर लें, खुर्द–बुर्द कर दें। मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी आसोलाई चाकसू तहसील, चाकसू जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट्

संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 9/2011 मन्दिर का प्रन्यास पंजीकृत किये जाने बाबत् एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक आयुक्त–प्रथम, देवस्थान विभाग, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना–पत्र का विस्तृत निर्णय दिनांक 06.11.2020 को किया जाकर प्रपत्र संख्या 8 स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 को पूर्व कार्यवाहक प्रन्यासी महन्त पुरूषोत्तम दास के स्थान पर कार्यवाहक प्रन्यासी घोषित किया जाकर तदानुसार प्रपत्र संख्या 4 में इन्द्राज किये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 हनुमान दास जी का विधिक उत्तराधिकारी है और वैध दस्तावेजात के आधार पर दिनांक 11.12.2019 को निर्णय पारित किया गया है और इसके अनुपालन में विधि अनुरूप नामान्तरकरण संख्या 1152/2019 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे और अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा को यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित की गई है। वसीयत दिनांक 31.12.2007 को किसी न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही किसी न्यायालय की स्थगन आज्ञा है। विधि में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के विद्वान अभिभाषक श्री अमिताभ भटनागर द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट् समिति न तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थी और न ही अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट् समिति द्वारा अपील प्रस्तुत करने की इस्तदुआ का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपील प्रस्तुत करने की इजाजत सम्बन्धी इस्तदुआ की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट् समिति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। प्रकरण के निस्तारण हेतु इस बिन्दु पर विचार किया जाना नितान्त आवश्यक है कि क्या तहसीलदार, चाकसू को आज्ञा दिनांक 28.08.2019 को रिव्यू करने के संबंध में जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ उसे सुने जाने/निस्तारित/निर्णित किये जाने का अधिकार था। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 (2) के अवलोकन से जाहिर है

कि प्रत्येक राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या हित के किसी भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा या अपने पद के किसी भी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा, ऐसी स्थिति में तहसीलदार, चाकसू द्वारा अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत रिव्यू प्रार्थना–पत्र पर निर्णय दिया जाना पाते है। तहसीलदार, चाकसू द्वारा पारित की गई आज्ञा दिनांक 28.08.2019 के संबंध में प्रस्तुत हुए रिव्यू प्रार्थना–पत्र को आज्ञा दिनांक 11.12.2019 द्वारा स्वीकार किया जाकर हनुमान दास के पक्ष में दिनांक 31.12.2007 को की गई वसीयत को अंतिम मानते हुए वसीयत में वर्णित भूमि कस्बा चाकसू के अन्तर्गत स्थित में से नगर पालिका, चाकसू के नाम संपरिवर्तित खसरा नम्बर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के स्थगन आदेश से प्रभावित खसरा नम्बर की भूमि को छोडकर शेष खसरा नम्बरान की भूमि का नामान्तरकरण भरकर तस्दीक करवाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट् समिति के विद्वान् अभिभाषक श्री रामावतार प्रजापत द्वारा वरवक्त बहस वसीयत दिनांक 31.12.2007 के सम्बन्ध में आपत्ती तो की गई है परन्तु ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह जाहिर हो कि वसीयत दिनांक 31.12.2007 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त कराया गया हो अथवा रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने/नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की दिनांक को वसीयत दिनांक 31.12.2007 की क्रियान्विति पर कोई स्थगन आज्ञा हो। ऐसी स्थिति में जबकि वसीयत दिनांक 31.12.2007 अन्तिम होना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से जाहिर है। इसके बाद की कोई वसीयत हो ऐसे तथ्य न तो बहस के दोरान उजागर हुए है और न ही कोई ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और वसीयत दिनांक 31.12.2007 की क्रियान्विति को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रोका नहीं गया है अथवा निरस्त नहीं किया गया है। अतः तहसीलदार, चाकसू द्वारा रिव्यू प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने में विधिक भूल नहीं किया जाना पाते है। पारित किये गये निर्णय दिनांक 11.12.2019 के अनुसरण में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में भी ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि हनुमान दास के हक में की गई वसीयत दिनांक 31.12.2007 की सीमा से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हो। उक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आज्ञा में हम हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट् अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर